न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2019 **दायर दिनांकः 04/07/2019**

उनवान

1. ललिता पुत्री गुलाब जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 04/07/2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके माल पिपलोद की जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 खाता संख्या 20 पर प्रार्थिया का नाम माग्रेट पुत्री बुलाब दर्ज है, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम ललिता पुत्री गुलाब है चूंकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम ललिता है, आधार कार्ड, राशनकार्ड व पहचान पत्र (मतदाता) में ललिता ही दर्ज है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का नाम माग्रेट के स्थान पर ललिता दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार अटरू अप्रार्थी से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार अटरू द्वारा रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी खाता संख्या 2073—76 की खाता संख्या 20 में प्रार्थीया खातेदार का नाम माग्रेट दर्ज है। अतः खाता संख्या 20 में प्रार्थीया का नाम माग्रेट के स्थान पर ललिता करना उचित होगा। प्रार्थीया को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत रिकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड पाठशालान्तर प्रवेशनुज्ञा आय, आदि में प्रार्थीया का सही नाम ललिता पुत्री गुलाब दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन कि आधार पर न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। कि ग्राम पिपलोद की खाता सख्या 20 में प्रार्थीया का नाम माग्रेट पुत्री गुलाब दर्ज है के स्थान पर ललिता पुत्री गुलाब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.08.19 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested